प्रेस नोट थाना गीडा जनपद गोरखपुर दिनांक 22.02.2024

धोखाधड़ी कर गबन करने व मारपीट का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधो पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गीडा के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गीडा के नेतृत्व में व0उ0नि0 सर्वेश कुमार राय मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 654/2023 धारा 147, 323, 504, 506, 452, 406, 420, 327,120बी भा0द0सं0 से सम्बन्धित अभियुक्त शंभु शरण उपाध्याय पुत्र नागेन्द्र उपाध्याय निवासी ग्राम भदार खास विशुनपुरा पो0 ढकवा बाजार थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-

दिनांक 25.10.2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर प्रा0पत्र दिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा षडयंत्र कर वादिनी को जमीन की रजिस्ट्री करने के नाम पर धोखे से 88 लाख रुपये ले लिया गया तथा जमीन लेकर जमीन रजिस्ट्री नहीं किया गया। जब वादिनी द्वारा अपना पैसा वापस मांगा गया तो अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के घर मे घुस कर मारा-पीटा गया तथा गाली गुप्ता देते हुये जान से मारने की धमकी दी गयी, जिसके सम्बंध मे थाना स्थानीय मुकदमा उपरोक्त थाना गीडा जनपद गोरखपुर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शंभु शरण उपाध्याय पुत्र नागेन्द्र उपाध्याय निवासी ग्राम भदार खास विशुनपुरा पो0 ढकवा बाजार थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 654/2023 धारा 147,323,504,506,452,406,420,327,120बी भा0द0सं0 थाना गीडा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 139/2016 धारा 323,452,504,506 भा0द0सं0 व 3(1)(1) एससी/एसटी एक्ट थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 654/2023 धारा 147,323,504,506,452,406,420,327,120बी भा0द0सं0 थाना गीडा जनपपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. व0उ0नि0 सर्वेश कुमार राय थाना गीडा जनपद गोरखपुर।
2. का0 राजेन्द्र यादव थाना गीडा जनपद गोरखपुर।